न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–54/2016/भीलवाड़ा (2016/00026)

1. श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री शिवपुरी गोसाई पत्नि पूरणगिरी, निवासी गढ़ का धनेरिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द ।
2. सुन्दर देवी पुत्री शिवपुरी गोसाई पत्नि माधोपुरी, नि0 भीमगढ़, तह0 राशमी जिला चित्तोड़गढ़ ।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती शान्तादेवी पुत्री लालपुरी गोसाई, नि0 गंगापुर, तह0 सहाड़ा, जिला सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
2. लक्ष्मणपुरी पुत्र लालपुरी गोसाई,
3. भंवर पुरी पुत्र शिवपुरी गोसाई,
4. जगदीश पुरी पुत्र शिवपुरी गोसाई,
5. सन्तोक बाई बेवा शिवपुरी गोसाई,
   समस्त निवासीगण गंगापुर, तह0 सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
6. कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल जाट, निवासी केनुनिया, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा दिनांक 15.7.2015 अंतर्गत अपील संख्या 2/2013.

उपस्थितः–

1. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री भरत गुर्जर, वकील रेस्पोडेंस संख्या 1.

निर्णय

दिनांक :– 28.2.2018

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 15.7.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सहाड़ा में स्थित आराजी संख्या 2072/2–ख रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 2088 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 2089 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 2095 रकबा 0.5 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल नंबर 5895, 5896, 5931 लगायत 5941 कुल किता 13 कुल रकबा 2.30 है0 कायम हुए जो लालपुरी गुसाई को विरासतन प्राप्त हुई तथा लालपुरी प्रश्नगत भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रहे । लालपुरी के देहांत उपरांत ग्राम पंचायत सहाड़ा द्वारा प्रश्नगत भूमि जरिये नामांतकरण संख्या 1371 दिनांक 31.8. 1974 (1.9.1974) से लालपुरी के वारिसान तीन पुत्रों शिवपुरी, बंशीपुरी, लक्ष्मणपुरी के नाम विधिवत् दर्ज की गई । बंशीपुरी का लाऔलाद देहांत होने से प्रश्नगत आराजियात के आधे–आधे भाग पर शिवपुरी व लक्ष्मणपुरी काबिज काश्त है तथा शिवपुरी के देहांत के उपरांत उनके वारिसान विधिक तौर पर अपने हिस्से व कब्जे काश्त की आराजियात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । नामांतकरण संख्या 1371 दिनांक 31.8. 1974 (1.9.1974) के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 शान्तादेवी पुत्री लालपुरी गुसाई ने उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी आधार के उनके तीनों पुत्रों लक्ष्मणपुरी, शिवपुरी, बंशीपुरी के नाम गलत तौर पर दर्ज कर दी जबकि वह मृतक लालपुरी की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है तथा 1/3 हिस्से की अधिकारी है, जिसके नाम नामांतकरण दर्ज होना चाहिये था। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर ने प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प में निर्णय दिनांक 15.7.2015 को पारित कर रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 1371 दिनांक 31.8.1974 (1.9.1974) को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, सहाड़ा को विधिवत् जांच उपरांत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट्स के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने राजस्थान भू–राजस्व अधि0 एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधि0 तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रावधित प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए निर्णय पारित किया है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज किया कि प्रश्नगत आराजियात लालपुरी को विरासतन प्राप्त सम्पति थी, जिनके देहांत उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा बाद जांच नामांतकरण संख्या 1371 दिनांक 31. 8.1974 (1.9.1974) को विधिवत् रूप से उनके तीनों पुत्रों के नाम दर्ज किया गया है । तत्समय पुत्रियों को पिता की सम्पति में कोई हक व अधिकार नहीं होने से नामांतकरण संख्या 1371 में पुत्री शान्तादेवी का

नाम दर्ज नही किया गया था, जो पूर्णतया विधिसम्मत् था परन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त स्थिति को दरकिनार करते हुए हिन्दु उत्तराधिकार अधि0 में प्रावधित प्रावधानों के विपरीत लगभग 40 वर्षो के उपरांत प्रस्तुत अपील को सरसरी तौर पर स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि प्रकरण दर्ज करने की दिनांक से प्रकरण निर्णय दिनांक तक पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जिससे अपीलांट्स की नोटिस तलबी होना साबित होता हो । अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स को नोटिस तामील कराये बिना एवं बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने नामांतकरण संख्या 1371 के विरूद्ध लगभग 40 वर्षो के भारी विलंब के बाद अपील प्रस्तुत की थी तथा इतनी लम्बी अवधि के विलंब के संबधं में अधी0न्याया0के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र में कोई उचित एवं संतोषप्रद कारण भी अंकित नहीं किये परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने इतने भारी विलंब को बिना किसी कारण के क्षम्य कर अपील अंदर मियाद स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । xx

4- विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 की आदेशिका से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रकरण में वास्ते तलबी एवं जवाब हेतु दिनांक 26.5.2015 की पेशी नियत थी । उक्त पेशी दिनांक को पत्रावली पेशी में नहीं लेकर लोक अदालत के समक्ष दिनांक 15.7. 2015 की पेशी नियत की गई तथा इस हेतु जारी नोटिस भी अपीलांट्स को तामील नहीं हुए एवं बिना किसी समझाईश एवं राजीनामें के लोक अदालत में एक तरफा में अपील स्वीकार की गई जो लोक अदालत की भावना के विपरीत है । लोक अदालत में पक्षकारान की सहमति से ही प्रकरण को निर्णित किया जा सकता है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों से परे होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 15.7.2015 अपास्त किया जावे तथा नामांतकरण संख्या 1371 दिनांक 31.8.1974 (1.9.1974) को यथावत् रखा जावे ।

5- विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय बाबत् प्रार्थीगण को नोटिस तामील के अभाव में कोई जानकारी नहीं रही किन्तु दिनांक 15.7.2015 को प्रार्थीगण किसी अन्य कार्यवश कैम्प में उपस्थित हुए तो उन्हें अधी0न्याया0 के द्वारा प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में पारित निर्णय की जानकारी हुई, तत्पश्चात् प्रार्थीगण ने निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया किन्तु लम्बी समयावधि तक पत्रावली नहीं मिलने से निर्णय की नकल प्राप्त नही हो सकी । दिनांक 10.3.2016 को निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर अपने अभिभाषक से सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र

धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जावे।

6- विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात के खातेदार लालपुरी थे जिनके तीन पुत्र एवं एक पुत्री रेस्पो0 संख्या 1 शान्ता देवी है, इनमें से एक पुत्र बंशीपुरी के लाऔलाद फौत होने पर खातेदार लालपुरी के दो पुत्र एवं एक पुत्री शेष वारिसान रहे । रेस्पो0 संख्या 1 मृतक लालपुरी की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होकर उसका विवादित आराजियात में 1/3 हिस्सा निहित है तथा वह इसी हिस्से अनुसार विवादित आराजियात में काबिज काश्त चली आ रही है । ग्राम पंचायत ने नामांतकरण संख्या 1371 दिनांक 31.8.1974 (1.9.1974) को स्वीकृत करते समय मृतक लालपुरी के दोनों पुत्रों शिवपुरी एवं लक्ष्मणपुरी के नाम नामांतकरण स्वीकृत किया तथा रेस्पो0 संख्या 1 शान्तादेवी, जो कि मृतक खातेदारी की पुत्री, को नजरअंदाज कर तथाकथित नामांतकरण स्वीकृत किया है जो प्रारंभ से अवैध एवं प्रभावशून्य है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष विलंब के समुचित एवं उचित कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किये थे जिन पर अविश्वास करने का कोई कारण नही था । रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अवैध एवं विधिविरूद्ध आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है तथा ऐसे मामलों में मियाद का बिन्दु गौण हो जाता है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार को प्रकरण विधिवत् जांच उपरांत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट्स अपास्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी0 1995 पेज 1113 को उद्धरित किया । xx

7- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । मियाद के बिन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट्स को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8- प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली एवं उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत अपील में मृतक खातेदार लालपुरी का सजरा अंकित किया है । उक्त सजरा अनुसार मृतक खातेदार लालपुरी के तीन पुत्र शिवपुरी, बंशीपुरी, लक्ष्मण पुरी तथा एक पुत्री शान्तादेवी है, इनमे से एक पुत्र बंशीपुरी लाऔलाद फौत हो गया है । खातेदार पिता लालपुरी

की मृत्यु उपरांत ग्राम पंचायत सहाड़ा द्वारा मृतक खातेदार पिता लालपुरी की विरासत का नामांतकरण संख्या 1371 दिनांक 31.8.1974 केवल पुत्रों शिवपुरी, बंशीपुरी एवं लक्ष्मण पुरी के नाम स्वीकृत किया गया है तथा पुत्री शान्तादेवी रेस्पो0 संख्या 1 के नाम विरासत दर्ज नहीं की गई है। हम विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1 के इस कथन से सहमत है कि रेस्पो0 संख्या 1 मृतक खातेदार पिता की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है जिसे हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 की धारा 6 के अनुसार पिता की सम्पति में बराबर हक व अधिकार प्राप्त है तथा उक्त अधि0 की धारा 6 में किये गये संशोधन अनुसार सितम्बर, 2005 के पश्चात् खातेदार पिता के जीवनकाल में भी पुत्रियों का पुत्रों के समान हक व अधिकार बाबत् उक्त अधिनियम में संशोधन प्रावधित किया गया है । नामांतकरण संख्या 1371 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने तथाकथित विरासत नामांतकरण तस्दीक करते समय मृतक खातेदार के समस्त वारिसानों की जांच नहीं की तथा ना ही रेस्पो0 संख्या 1 जो कि मृतक खातेदार पिता की प्रथम श्रेणी की वारिस है को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने इन्हीं सब तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए नामांतकरण संख्या 1371 दिनांक 31.8.1974 को अपास्त कर प्रकरण तहसीदार, सहाड़ा को मृतक खातेदार के समस्त विधिक वारिसान की जांच कर विधिवत् निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.7.2015 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 54/2016 (2016/00026) बउनवानी पुष्पादेवी बनाम शान्तादेवी को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर द्वारा अपील संख्या 2/2013 बउनवान शान्तादेवी बनाम लक्ष्मणपुरी में पारित निर्णय दिनांक 15.7.2015 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 28.2.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर